निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आषाढ़ 1941 (श0)

(सं0 पटना 793) पटना, बुधवार, 10 जुलाई 2019

सं० 08/आरोप–01–04/2014–सा०प्र0०–7427
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

31 मई 2019

श्री शशिभूषण पाठक, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–161/2011 तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, सुपौल के विरूद्ध आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक–134/गो० दिनांक 23.04.2014 द्वारा आरोप–पत्र एवं साक्ष्य प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल में निगरानी विभाग के छापे में बड़ी राशि बरामद हुई। निगरानी विभाग द्वारा पकड़े गये दो आरोपी को संचालन पदाधिकारी के रूप में आरोप मुक्त करने का आरोप श्री पाठक के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया था।

आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक–7576 दिनांक 05.06.2014 द्वारा श्री पाठक से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। आरोप–पत्र के साथ सभी साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया एवं उनके द्वारा साक्ष्य एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता रहा। अनुशासनिक प्राधिकार ने समीक्षा के क्रम में पाया कि श्री पाठक द्वारा निगरानी विभाग के छापे में पकड़े गये दो आरोपी को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गयी, जबकि निगरानी विभाग ने आरोपी के आलमीरा से बड़ी राशि बरामद की थी। श्री पाठक ने भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों को संरक्षण देने का कार्य किया एवं बार–बार स्पष्टीकरण पर साक्ष्य की माँग कर प्रक्रिया को लंबित रखने का प्रयास किया गया। सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक–12108 दिनांक 01.09.2014 द्वारा श्री पाठक के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 (2) में विहित प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में दिनांक 30.09.2014 को श्री पाठक के वार्धक्य सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक–16489 दिनांक 01.12.2014 द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–1542 दिनांक 06.12.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री पाठक के विरूद्ध आरोपों को अप्रमाणित बताया

गया। सम्यक् समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त की गयी तथा निम्न असहमति के बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक–7510 दिनांक 07.06.2018 द्वारा श्री पाठक से लिखित अभिकथन/बचाव बयान की माँग की गयी :–

"निगरानी दल की छापेमारी में श्री प्रभाकर लाल दास, नाजीर एवं श्री चन्द्रहास वर्मा, आशुलिपिक के आलमारी से नगद राशि प्राप्त हुई थी। संदर्भित आरोपों की जाँच हेतु आपको संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। मामले की जाँच के क्रम में श्री दास ने अपने सरकारी आलमीरा से प्राप्त राशि को पुत्री की शादी हेतु अपने संबंधी द्वारा मदद के रूप में प्राप्त बताया तथा श्री वर्मा ने सरकारी अलमीरा से प्राप्त राशि को संबंधित संस्था से चन्दा स्वरूप बताया। उक्त तथ्यों की पुष्टि आपके द्वारा संबधित व्यक्तियों से नहीं की गयी तथा दोनों आरोपित कर्मियों के भ्रमित करने वाले तर्क को स्वीकृति देते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी के रूप में आपके उक्त कृत्य से कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही का दोष प्रमाणित होता है।"

उक्त असहमति के बिन्दुओं पर श्री पाठक द्वारा अपना लिखित अभिकथन/बचाव बयान (दिनांक 06.08.2018) समर्पित किया गया। श्री पाठक, सेवानिवृत्त बि०प्र०से० से प्राप्त लिखित अभिकथन/बचाव बयान की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी, जिसमें पाया गया कि विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्तियों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण नहीं कर आरोपी श्री दास एवं श्री वर्मा द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा के आलोक में जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया। निजी राशि/चन्दा की राशि को कार्यालय में रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इस बिन्दु पर कोई मंतव्य नहीं दिया गया। जो उनके सरकारी कार्य के प्रति कर्तव्यहीनता को दर्शाता है। जिस मामले की जाँच श्री पाठक ने की थी वह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था। अतः श्री पाठक का दोष गम्भीर प्रकृति का है।

सम्यक् विचारोपरांत श्री पाठक के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए आरोपों के प्रमाणिकता के आधार पर निम्न दंड विनिश्चित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गयाः–

"पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती पाँच वर्षों तक।"

उक्त विनिश्चि दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 16374 दिनांक 14.12.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 288 दिनांक 09.05.2019 द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में श्री शशिभूषण पाठक, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–161/2011 तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43(बी0) के प्रावधानों के तहत निम्न दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता हैः–

*"**पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती पाँच वर्षों तक।**"*

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम विशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 793-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in